छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित करने का दिनाँक : 12.10.2023

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 01.11.2023

दांडिक अपील क्र. 1394/2015

1. कुमारी पार्वती मानिकपुरी, पिता स्वर्गीय दुर्गा दास, उम्र लगभग 23 वर्ष, जाति–पनिका, निवासी रूद्री बस्ती, आनंद पारा, जिला– धमतरी (छ.ग.)

2. कुमारी दास मानिकपुरी पिता स्वर्गीय दुर्गा दास मानिकपुरी, उम्र लगभग 21 वर्ष, जाति–पनिका, निवासी रूद्री बस्ती, आनंदपारा, जिला धमतरी (छ.ग.)

––––––––––––––अपीलार्थीगण

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना रुद्री, जिला धमतरी (छ.ग.)

–––––––––––––––– प्रत्यर्थी

दांडिक अपील क्र. 1590/2015

दीपक कुमार ध्रुव, पिता शिवकुमार, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी – आमातालाब, डाकघर – वार्ड धमतरी, पुलिस थाना– सिटी कोतवाली, धमतरी, जिला धमतरी, सिविल एवं राजस्व जिला धमतरी (छ.ग.)

––––––––––––––अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना रुद्री, जिला धमतरी (छ.ग.), सिविल एवं राजस्व जिला धमतरी (छ.ग.)

–––––––––––––––– प्रत्यर्थी

दाण्डिक अपील क्र. 121/2016

रवीन्द्र दास, पिता– स्वर्गीय दुर्गा दास, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी– रुद्री बस्ती, आनंदपारा, जिला धमतरी (छ.ग.)

––––––––––––––अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना रुद्री, जिला धमतरी (छ.ग.)

------------------ प्रत्यर्थी

तथा

<u>दाण्डिक अपील क्र. 519/2022</u>

1. मोनू उर्फ भुनेश्वर निषाद, पिता – स्वर्गीय गणेशराम, उम्र लगभग 29 वर्ष (आक्षेपित निर्णय के अनुसार 23 वर्ष), निवासी रुद्री कॉलोनी, जिला धमतरी (छ.ग.)

2. लखन निषाद पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद, उम्र लगभग 28 वर्ष (आक्षेपित निर्णय के अनुसार 22 वर्ष), निवासी रुद्री कॉलोनी, जिला धमतरी (छ.ग.)

------- अपीलार्थी

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, जिला धमतरी (छ.ग.)

------ प्रत्यर्थी

दांडिक अपील क्र.1394/2015 में अपीलार्थीगण कुमारी पार्वती मानिकपुरी और कुमारी दास मानिकपुरी हेतु	:	सुश्री निरुपमा बाजपेयी, अधिवक्ता
दांडिक अपील क्र. 1590/2015 में अपीलार्थी दीपक कुमार ध्रुव हेतु	:	श्री सौरभ डांगी, अधिवक्ता
दांडिक अपील क्र. 121/2016 में अपीलार्थी –रवींद्र दास हेतु	:	श्री आनंद कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
दांडिक अपील क्र. 519/2022 में अपीलार्थीगण मोनू @ भुनेश्वर निषाद और लखन निषाद हेतु	:	श्री एम.पी.एस. भाटिया, अधिवक्ता
उत्तरवादी / राज्य हेतु	:	श्री एच. एस. अहलूवालिया, उप महाधिवक्ता

<u>माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायमूर्ति</u>

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, न्यायमूर्ति
सी.ए.वी. निर्णय

द्वारा, श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायमूर्ति

1. चूंकि उपरोक्त चारों दांडिक अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), धमतरी द्वारा सत्र विचारण क्र. 07/2015 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.09.2015 के विरुद्ध दाखिल की गई हैं, अतएव उन्हें एक साथ अनुश्रुत कर इस सामान्य निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण– रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ–1), मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद (अ–2), लखन निषाद (अ–3), दीपक कुमार ध्रुव (अ– 4), कुमारी पार्वती मानिकपुरी (अ– 5) और कुमारी दास मानिकपुरी (अ–6) द्वारा दं.प्र.सं की धारा 374(2) के अंतर्गत उक्त चार दांडिक अपील प्रस्तुत कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), धमतरी, जिला धमतरी द्वारा सत्र विचारण क्र. 07/2015 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.09.2015 को चुनौती दी गई है , जिसके अधीन उन्हें भा.दं.सं की धारा 302/34 और 201/34 के अंतर्गत अपराधों के लिए सिद्धदोष कर उनके विरुद्ध आजीवन कारावास एवं रुपये 500/– के अर्थदंड, साथ ही अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास, और पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं रुपये 300/– के अर्थदंड, साथ ही अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर छः माह के सश्रम कारावास, का दंडादेश दिया गया है ।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 26/27.11.2014 की मध्य रात्रि को ग्राम रूद्री बस्ती, थाना रूद्री, जिला धमतरी में वर्तमान अपीलार्थीगण ने

मृतिका चेतन बाई के साथ शराब का सेवन किया और तत्पश्चात मृतिका का गला घोंट दिया और चाकू व कुल्हाड़ी की मदद से सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह आगे अभिकथन किया गया है कि, अपराध को छिपाने के लिए, अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और चाकू को उनके द्वारा अलग–अलग स्थानों पर छिपा दिया गया था। दिनांक 27.11.2014 को, पुलिस थाना रूद्री पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना ग्राम कोटवार के द्वारा प्राप्त हुई, तब थाना प्रभारी, रूद्री द्वारा अपने अधीनस्थ सहकर्मी के साथ मौके पर जाकर प्र.पी. 15 द्वारा मर्ग सूचना दर्ज किया गया। मौके का निरीक्षण करने के पश्चात प्र.पी. 18 द्वारा मौका नक्शा तैयार किया गया।इसके पश्चात, साक्षीगण अर्थात रामदास मानिकपुरी, श्रीमती हेमबाई सिन्हा, श्याम सुंदर सिन्हा, छबि लाल मेश्राम और मूलचंद साहू को मौके पर ही मृत्यु–समीक्षा (प्र.पी –16) की सूचना तामिल की गई और तत्पश्चात प्र. पी. 17 द्वारा मृत्यु–समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया। मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 302 एवं 201 भा.दं. सं के अधीन अपराध क्रमांक 0/2015 दर्ज किया गया, इसके पश्चात सूचनाकर्ता कोटवार रामदास मानिकपुरी की सूचना के आधार पर देहाती नालिसी दर्ज किया गया । इसके पश्चात, मृतिका के शव को शव परीक्षण के लिए शासकीय अस्पताल धमतरी भेजा गया, जहां डॉ. स्निग्धा जैन (अ.सा.13) ने प्र.पी.10 के अधीन मृतिका का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईः–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"1. चेहरे के दाहिने जबड़े वाले क्षेत्र पर 3x2 से.मी. आकार का खंरोच मौजूद था , जो लालिमा लिए हुए था ।

2. चेहरे के बांयें ओर दो खरोंचें थीं , बांयें जाइगोमा पर 5x2 सेमी और बांयें जबड़े वाले क्षेत्र पर 3x3 सेमी आकार का , जो लालिमा लिए हुए थे ।

3. गर्दन के ऊपर, ग्रीवा की तीसरी कशेरुका के स्तर पर, 14x13 से.मी. के आकार का हड्डी की गहराई तक , काटा हुआ घाव (सिर काटना) मौजूद था, किनारे स्पष्ट कटे हुए थे, अंतर्निहित मांसपेशी के प्रभाव के साथ ग्रीवा की तीसरी कशेरुका के स्तर पर गर्दन के पूर्ण पारपरिच्छेदन प्रभाव के साथ नियमित, वाहिका कटी हुई और ग्रीवा की तीसरी कशेरुका में अस्थिभंग ।

4. गर्दन के पीछे काटा हुआ घाव, चोट क्र. 3 से 1.3 से.मी. ऊपर, हड्डी की गहराई तक, किनारे स्पष्ट कटे हुए थे, नियमित एवं खून से लथपथ । दूसरी ग्रीवा कशेरुका पर कटा हुआ अस्थिभंग ।

चिकित्सक का मत है कि मृत्यु का कारण सिर काटने के फलस्वरूप सदमा और रक्तस्राव था और मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी ।

4. थाने में वापस आने के उपरांत , प्र.पी. 44 के द्वारा मर्ग क्र.18/2014 कायम किया गया और उसी दिनांक को भा. दं. सं की धारा 302 और 201 के अंतर्गत अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी–50) को अपराध क्र. 71/2014 के अधीन

दर्ज किया गया और उसके पश्चात अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। अन्वेषण के दौरान, आरोपी रविन्द्र दास मानिकपुरी और मृतिका के मध्य विवाद का तथ्य अन्वेषण अधिकारी की जानकारी में आया क्योंकि मृतिका आरोपी रविन्द्र दास मानिकपुरी, कुमारी दास मानिकपुरी और कुमारी पार्वती मानिकपुरी की सौतेली मां थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी रविन्द्र दास मानिकपुरी से पूछताछ की, जिसने बताया कि दिनांक 26.11.2014 की रात्रि को उसने अन्य आरोपियों अर्थात मोनू निषाद, दीपक ध्रुव, लखन लाल, कुमारी पार्वती मानिकपुरी और कुमारी दास मानिकपुरी के साथ मिलकर मृतिका की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी रविन्द्र दास ने अन्य सह आरोपीगण को शराब खरीदने के लिए भेजा तथा मृतिका के साथ सभी चार आरोपीगण ने शराब का सेवन किया और जब मृतिका अधिक नशे में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाई तो सभी आरोपीगण ने उसकी गर्दन दबा दिया तथा उसके पश्चात कुल्हाड़ी व चाकू से उसका सिर काट दिया और उसके पश्चात मृतिका के शरीर के भागों को मोटर सायकल में ले जाकर बेलतरा शिकारीखार नहर पुल के पास फेंक दिया तथा मृतिका के सिर को महानदी देवपुर घाट के पानी में फेंक दिया।

5. पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण के मेमोरेंडम कथन प्र.पी–26 से प्र.पी. 31 तक अभिलिखित किए गए तथा रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ–1) के मेमोरेंडम कथन के आधार पर मृतिका का सिर प्र.पी–21 के द्वारा बरामद किया गया। पंचनामा और जब्ती पत्रक प्र.पी. 22 से 23 के द्वारा तैयार किये गए । आरोपी रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ–1) से प्र.पी–32 से पी–35 के द्वारा ऊनी कपड़ा, कुल्हाड़ी और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पासबुक जब्त किये गए । मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद (अ– 2) के कब्जे से प्र.पी.36 के द्वारा चाकू बरामद किया गया । आरोपी दीपक कुमार ध्रुव के कब्जे से प्र.पी–37 के द्वारा मोटर साइकिल, जिसका रजिस्ट्रेशन क्र. सी.जी.05 के 9029 है, बरामद किया गया । आरोपी कुमारी दास मानिकपुरी (अ–6) के कब्जे से प्र.पी–38 के द्वारा कुल्हाड़ी का लकड़ी का हैंडल बरामद किया गया । आरोपी कुमारी पार्वती मानिकपुरी (अ –5) के कब्जे से प्र.पी–39 के द्वारा मृतिका के कपड़े बरामद किए गए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, सभी अपीलार्थीगण के विरुद्ध उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप–पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने अपराध से इनकार किया और अन्य बातों के साथ–साथ इस कथन के साथ बचाव में प्रवेश किया कि उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और उन्हें प्रश्नगत अपराध में झूठा फँसाया गया है।

7. अपराध को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 24 साक्षीगण का परीक्षण कराया है और 76 दस्तावेज अर्थात प्र.पी.1 से प्र.पी. 76 तक प्रदर्शान्कित किए हैं । बचाव पक्ष की ओर से किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है, तथापि, दस्तावेज (प्र.डी.1) को अभिलेख पर लाया गया है ।

8. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.09.2015 के द्वारा उपरोक्त आरोपियों को

उपरोक्त अपराधों के लिए सिद्धदोष किया और उनके विरुद्ध उपर्युक्त दंडादेश पारित किया उपरोक्त सजा सुनाई, जिसके विरुद्ध यह दाण्डिक अपीलें दाखिल किये गए हैं।

9. दांडिक अपील क्र. 1394/2015 में अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री निरुपमा बाजपेयी का तर्क है कि अपीलार्थी –कुमारी पार्वती मानिकपुरी (अ– 5) और कुमारी दास मानिकपुरी (अ– 6) के विरुद्ध विधिक रूप से ग्राह्य कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि मृतिका के कपड़े अपीलार्थी –कुमारी पार्वती मानिकपुरी (अ– 5) के कब्जे से बरामद किए गए थे और कुल्हाड़ी का लकड़ी का हैंडल अपीलार्थी –कुमारी दास मानिकपुरी (अ–6) के कब्जे से बरामद किया गया था। उनका आगे तर्क है कि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थीगण मृतिका चेतन बाई की हत्या की योजना बनाने में शामिल थे। अतः, दांडिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

10. दांडिक अपील क्र. 1590/2015 में अपीलार्थी दीपक कुमार ध्रुव (अ –4) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ डांगी का तर्क है कि प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ अनुपस्थित हैं। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी के पास से केवल काले–नीले रंग की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, रजिस्ट्रेशन क्र. सी.जी. 05 के 9029, जब्त की गई है, जो उसे उपरोक्त अपराधों से कहीं भी नहीं जोड़ती है। अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध इन परिस्थितियों को सिद्ध करने में विफल रहा है। उनका

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आगे तर्क है कि शैलेन्द्र वानखेड़े (अ.सा. 23) ने अपने प्रति–परीक्षण के पैरा–8 में कथन किया है कि पुलिस वालों ने उसे बताया कि आरोपियों ने स्वीकार किया है कि पुलिस थाने में रखी मोटर साइकिल का इस्तेमाल अपराध में शव ले जाने के लिए किया गया था। उनका यह भी तर्क है कि दोषसिद्धि अपीलार्थी–आरोपी के मेमोरेंडम कथन (प्र.पी. 37) पर भी आधारित है। यह तर्क किया गया है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और जब ये आरोपी पुलिस अभिरक्षा में थे, तब संस्वीकृतिक कथन अभिलिखित किया गया था। अतएव, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में निहित उपबंधों की दृष्टि में ऐसे कथन ग्राह्य नहीं हैं । उनका तर्क है कि विकास कौशिक (अ.सा.16) ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 5 में कथन किया है कि पुलिस अधिकारी ने अपीलार्थी–आरोपी का कथन अभिलिखित नहीं किया। उनका आगे तर्क है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित प्रकरण में, परिस्थिति का अत्यावश्यक भाग अर्थात हेतुक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी के हेतुक को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, अतएव, यह अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाता है। अतः दांडिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और अपीलार्थी के विरुद्ध अधिरोपित दोष सिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा **(2019) 4 एससीसी 522 (पैरा–41 और 42)** में प्रकाशित **दिगम्बर वैष्णव विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य , 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 984 (पैरा–21 से 25)** में प्रकाशित **मनोज कुमार सोनी विरुद्ध एमपी राज्य**, **(2015) 11 एससीसी 31 (पैरा–16, 17, 20, 21,**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22 और 23)** में प्रकाशित **इंद्र दलाल विरुद्ध हरियाणा राज्य**, **(2010) 12 एससीसी 91 (पैरा–23 और 24)** में प्रकाशित **बिपिन कुमार मंडल विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य** और **(2010) 9 एससीसी 189 (पैरा–22 और 23)** में प्रकाशित **बाबू विरुद्ध केरल राज्य** के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अवलंब लिया है ।

11. अपीलार्थी रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ–1) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार गुप्ता का तर्क है की उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर मृतिका का सिर बरामद किया गया है तथा ऊनी कपड़ा, कुल्हाड़ी और पासबुक भी बरामद किये गए हैं । उनका आगे तर्क है कि प्रश्नगत अपराध से उसे जोड़ने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अतः, दांडिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और अपीलार्थी के विरुद्ध अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

12. दांडिक अपील क्र. 519/2022 में अपीलार्थी मोनू उर्फ़ भुवनेश्वर और लखन निषाद की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी.एस.भाटिया का तर्क है कि अभियोजन पक्ष का प्रकरण मेमोरेंडम एवं जब्ती साक्षी विकास कौशिक (अ.सा.16) और शैलेन्द्र वानखेड़े (अ.सा.23) पर आधारित है। अपने मुख्य– परीक्षण के पैरा 5 में विकास कौशिक (अ.सा.16) ने अभिसाक्ष्य किया है कि पुलिस ने रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ–1) को छोड़कर किसी अन्य आरोपी (दोनों अपीलार्थीगण सहित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का मेमोरेंडम अभिलिखित नहीं किया था। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 18 में उसने यह तथ्य स्वीकार किया है कि पुलिस ने दोनों अपीलार्थीगण का मेमोरेंडम अभिलिखित नहीं किया था। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि वह दोनों अपीलार्थीगण को नहीं जानता है और वह मोनू उर्फ़ भुवनेश्वर और लखन निषाद की पहचान नहीं कर सकता है। अपने मुख्य–परीक्षण के पैरा 4 में शैलेंद्र वानखेड़े (अ.सा. 23) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी मोनू उर्फ़ भुवनेश्वर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। पैरा 8 में उसने यह अभिसाक्ष्य किया है कि यह कहना सही नहीं है कि अपीलार्थी मोनू उर्फ़ भुवनेश्वर से चाकू जब्त किया गया था। उनका आगे तर्क है कि कि इन साक्षीगण के अनुसार, इन दोनों अपीलार्थीगण के मेमोरेंडम अभिलिखित नहीं किये गए थे और अपीलार्थी मोनू उर्फ़ भुवनेश्वर से चाकू जब्त नहीं किया गया था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप–पत्र में दावा किया गया है। इसके अलावा, डॉ. स्निग्धा जैन (अ. सा.13) ने मुख्य–परीक्षण के पैरा 17 और 18 और प्रति–परीक्षण के पैरा 21 और 22 में अभिसाक्ष्य किया है और स्वीकार किया है कि मृतिका को कारित चोटें आर्टिकल–02 चाकू, जिसे कथित रूप से अपीलार्थी मोनू उर्फ़ भुवनेश्वर से जब्त किया गया था, से पहुंचाई नहीं की जा सकती हैं । इसी प्रकार, प्र.पी.12 और पी.13 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मृतक को कारित चोटें आर्टिकल– 02 चाकू (जिसे कथित रूप से अपीलार्थी मोनू उर्फ़ भुवनेश्वर से जब्त किया गया था) से नहीं पहुंचाई जा सकतीं हैं । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यहां अपीलार्थी अर्थात मोनू भुवनेश्वर और लखन निषाद निर्दोष हैं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और उनके विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उन्हें सिद्धदोष किया जा सके। अतएव, अपीलार्थीगण उन संदेहों का लाभ पाने के अधिकारी हैं। अतः, उनकी ओर से दाखिल दाण्डिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाए।

13. दूसरी ओर, उत्तरवादी /राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री एच.एस. अहलूवालिया द्वारा आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्रियों और परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत उन्हें उपरोक्त अपराधों के लिए उचित रूप से सिद्धदोष किया है। उनका आगे तर्क है कि अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया है। अतएव, आरोपी व्यक्तियों द्वारा कारित अपराध को देखते हुए वर्त्तमान दाण्डिक अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को अनुश्रुत किया, उनके द्वारा ऊपर दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

15. विचारण हेतु पहला प्रश्न यह है कि क्या मृतक चेतन बाई की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी?

16. अभियोजन पक्ष की ओर से डॉ. स्निग्धा जैन, जिनके द्वारा मृतक का शव परीक्षण (प्र.पी.12) किया गया था, का परीक्षण अ.सा.13 के रूप में किया गया और उनके मत में मृत्यु का कारण सिर के कटने के फलस्वरूप सदमा तथा रक्तस्राव थे और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को अनुश्रुत करने तथा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात, हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया यह निष्कर्ष, कि मृतिका चेतन बाई की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित तथ्यात्मक निष्कर्ष है। यह न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। हम इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, बल्कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। **शरद बिरधीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के साक्ष्य के पंचशील का गठन करने वाले पांच स्वर्णिम सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:–

(1) परिस्थितियाँ जिससे दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थियों को स्थापित “अवश्य किया जाना चाहिए ” अथवा “ होना चाहिए” और न कि "किया जा सकता हो" ;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य

1 (1984) 4 एससीसी 116

परिकल्पना के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उनसे हर संभावित परिकल्पना बाहर होना चाहिए सिवाय उस परिकल्पना के जिसे सिद्ध किया जाना है; तथा

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे और यह दर्शाना होना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करने के उपरांत अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 201/34 के अंतर्गत अपराध के लिए सिद्धदोष किया है। अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि सभी अपीलार्थीगण ने मिलकर षड़यंत्र किया और मृतिका के साथ शराब का सेवन किया और मृतिका का गला घोंट दिया और उसके पश्चात चाकू एवं कुल्हाड़ी से सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसके उपरांत, अपराध से स्वयं को प्रतिच्छादित करने के लिए उक्त अपराध से संबंधित साक्ष्यों का विलोपन किया ।

19. विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपराध का हेतुक सिद्ध और प्रमाणित पाया कि चेतन बाई अभियुक्तगण रविन्द्र दास मानिकपुरी, कुमारी पार्वती

मानिकपुरी और कुमारी दास मानिकपुरी की सौतेली माँ थी, और अभियुक्त–अपीलार्थी रविन्द्र दास मानिकपुरी मृतिका चेतन बाई से झगड़ा करता था, क्योंकि मृतिका चेतन बाई उसके वेतन का सारा पैसा लेकर अपने पास रख लेती थी और उसे एवं उसकी बहनों अर्थात कुमारी पार्वती दास और कुमारी दास मानिकपुरी को उचित भोजन आदि भी नहीं देती थी। घटना रात्रि को, अभियुक्त रविन्द्र दास मानिकपुरी अन्य अभियुक्तगण मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद, लखन निषाद तथा दीपक कुमार ध्रुव के साथ मृतिका के घर आया और सभी अभियुक्तगण और चेतन बाई ने घर में शराब का सेवन किया , उस समय अभियुक्त कुमारी पार्वती मानिकपुरी और कुमारी दास मानिकपुरी भी घर में उपस्थित थे। रात्रि भोजन के पश्चात मृतिका चेतन बाई के सगे पुत्र नरेन्द्र दास मानिकपुरी एवं शैलेन्द्र मानिकपुरी को सुला दिया गया। प्रातः जब नरेन्द्र दास मानिकपुरी (मृतिका चेतन बाई का पुत्र) जागा तो उसकी माता चेतन बाई का कोई पता नहीं था। तत्पश्चात अचानक ग्राम बेलतरा के शिकारी खार नहर पुल के सामने शव पड़ा मिला। इस प्रकार, परिस्थिति से यह दर्शित होता है कि आरोपीगण के पास मृतिका चेतन बाई की हत्या करने का कारण था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपराध का हेतुक स्थापित हुआ है क्योंकि मृतिका चेतन बाई, आरोपीगण रविन्द्र दास मानिकपुरी, कुमारी पार्वती मानिकपुरी एवं कुमारी दास मानिकपुरी की सौतेली माँ थी और आरोपी रविन्द्र दास मानिकपुरी मृतिका चेतन बाई से झगड़ा करता था, क्योंकि मृतिका चेतन बाई उसके वेतन का सारा पैसा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लेकर अपने पास रख लेती थी तथा उसे एवं उसकी बहनों कुमारी पार्वती दास एवं कुमारी दास मानिकपुरी को उचित भोजन आदि भी नहीं देती थी।

20. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से दर्शित होता है कि 26–27.11.2014 की मध्य रात्रि को, ग्राम रूद्री बस्ती, पुलिस थाना रूद्री, जिला धमतरी में, अपीलार्थीगण– रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ–1), मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद (अ–2), लखन निषाद (अ–3) एवं दीपक कुमार ध्रुव (अ–4) ने मृतिका चेतन बाई के साथ शराब का सेवन किया और जब मृतिका अत्यधिक नशे में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाई तो सभी आरोपीगण ने उसकी गर्दन दबाई और उसके पश्चात चाकू व कुल्हाड़ी से सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसके पश्चात मृतिका के शरीर के भागों को मोटरसाइकिल में ले जाकर बेलतरा शिकारीखार नहर के पास फेंक दिया और मृतिका के सिर को महानदी देवपुर घाट के पानी में फेंक दिया ताकि उसकी पहचान किसी को प्रकट न हो सके, रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ–1) के मेमोरेंडम कथन (प्र.पी–26) के आधार पर, मृतिका का सिर उसकी निशानदेही पर प्र.पी.22 के द्वारा बोरे में बंद बरामद किया गया। दीपक कुमार ध्रुव (अ–4) के मेमोरेंडम कथन (प्र.पी.27) के आधार पर, एक मोटर सायकल स्प्लेंडर, रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी 05 के 9029 उसकी निशानदेही पर प्र.पी. 37 द्वारा बरामद किया गया । मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद (अ–2) के मेमोरेंडम कथन (प्र.पी.29) के आधार पर, उसकी निशानदेही पर चाकू को प्र.पी.36 के द्वारा बरामद किया गया। कुमारी पार्वती मानिकपुरी (अ–5) के मेमोरेंडम कथन के आधार पर, मृतिका के कपड़े प्र.पी. 39

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के द्वारा बरामद किए गए तथा आरोपी कुमारी दास मानिकपुरी (अ–6) के मेमोरेंडम कथन के आधार पर, उसकी निशानदेही पर, कुल्हाड़ी के लकड़ी के हैंडल की जली हुई राख प्र.पी.38 के द्वारा बरामद की गई।

21. अतः, हमारा यह विचारणीय मत है कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 12 में वर्णित दोषपूर्ण परिस्थितियों को उचित पाया है, क्योंकि अपराध का हेतुक सिद्ध हो चुका है, क्योंकि अपीलार्थी रविद्र दास मानिकपुरी (अ–1) ने अन्य सह–अभियुक्तों अर्थात् मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद (अ–2), लखन निषाद (अ–3) और दीपक कुमार ध्रुव (अ–4) को शराब खरीदने के लिए भेजा था और मृतिका के साथ चारों आरोपियों ने शराब का सेवन किया और जब मृतिका अत्यधिक नशे में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाई, तो सभी आरोपियों ने उसकी गर्दन दबाई और उसके पश्चात कुल्हाड़ी और चाकू से उसका सिर काट दिया और उसके पश्चात उन्होंने मृतक के शरीर के भागों को मोटर साइकिल में ले जाकर बेलतरा शिकारीखार नहर के पास फेंक दिया और मृतक के सिर को महानदी देवपुर घाट के पानी में फेंक दिया, और अभियुक्त रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ–1) के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में, उसकी निशानदेही पर, मृतिका का सिर देवपुर महानदी घाट से प्र.पी–22 के द्वारा बरामद किया गया था, जिसका स्पष्टीकरण वह धारा दं.प्र.सं. की धरा 313 के अंतर्गत कथन में नहीं दे पाया है और अभियोजन पक्ष ने षडयंत्र सिद्ध कर दिया है और यह भी सिद्ध कर दिया है कि अपराध से स्वयं को प्रतिच्छादित करने के लिए उन्होंने मृतिका के शरीर के भागों को बेलतरा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकारीखार नहर पुल के पास फेंक दिया और मृतिका का सिर महानदी देवपुर घाट के पानी में फेंक दिया था ।

22. जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, आरोपी मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद (अ–2) के कब्जे से, उसकी निशानदेही पर, प्र.पी–36 के द्वारा चाकू बरामद किया गया, आरोपी दीपक कुमार ध्रुव (अ–4) के कब्जे से प्र.पी–37 के द्वारा एक मोटर साइकिल स्प्लेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 05 के 9029, बरामद की गई, जिनका वे दं.प्र.सं की धारा 313 के अंतर्गत स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. विचारण न्यायालय ने आखिरी बार साथ देखे जाने के सिद्धांत का अवलंब लिया है। नरेंद्र दास मानिकपुरी (अ.सा.6) आखिरी बार साथ देखे जाने का साक्षी है। उसने अपने साक्ष्य के पैरा–2 में अभिसाक्ष्य किया है कि चेतन बाई की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मां चेतन बाई की हत्या उसके भाई रविंद्रदास मानिकपुरी ने की है। रात्रि में, उसका भाई रविंद्रदास मानिकपुरी शराब पीकर आया और उसने उसकी मां चेतन बाई को भी शराब पिलाई, उस दिन घर में मुर्गा पकाया गया, खाना खाने के बाद उसे सुला दिया, उसके छोटे भाई शैलेंद्र को भी सुला दिया। जिस रात्रि को उसकी मां को शराब पिलाई गई, उस रात्रि को उसके साथ रविंद्रदास मानिकपुरी, दीपक, लखन और परवीन उपस्थित थे। उसकी बहनें भी वहीं थीं, वे भी सो गई थीं। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी बहनें फर्श पर सफाई कर रही थीं, तब उसने अपनी बहनों से पूछा कि वे सफाई क्यों कर रही हैं और उसकी मां कहां गई

हैं, तब उसकी बहनों ने बताया कि मां चेतन बाई गांव गई हैं। उसके उपरांत वह खेलने चला गया।

24. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अंतिम बार एक साथ देखे जाने के अभिवचन को स्थापित अभिनिर्धारित किया जा सकता है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर आधारित है।

25. साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 में निम्नानुसार उल्लेख है:–

> **धारा 101. सबूत का भार –** जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।
>
> जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत, जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। अतएव, अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। इस प्रकार, धारा 106 धारा 101 का अपवाद है।

27. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निम्नानुसार उल्लेख है:–

"**धारा 106. विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार —**

जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

दृष्टांत

(क) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है, जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियाँ इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) क पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, उस पर है।

28. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी, जहाँ अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है, जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में, जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान में हैं, उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जब अभियुक्त उक्त अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो न्यायालय हमेशा उपयुक्त निष्कर्ष निकाल सकता है।

29. **<u>बोधराज उर्फ बोधा एवं अन्य विरुद्ध जम्मू एवं कश्मीर राज्य</u>**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिस पर अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत लागू किया जा सकता है, और निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है :–

> "31. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब प्रभाव में आता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच के समय का अंतराल इतना कम हो कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना असंभव हो। कुछ मामलों में यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना मुश्किल होगा कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, जब बीच में लंबा अंतराल हो और अन्य व्यक्तियों के बीच में आने की संभावना विद्यमान हो। अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार साथ देखे जाने का निष्कर्ष निकालने के लिए किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के आभाव में, ऐसे मामलों में दोष के निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित होगा। इस मामले में सकारात्मक साक्ष्य है कि मृतक, अ –1 और अ –2 को साक्षीगण अर्थात अ.सा. 14, 15 और 18 द्वारा एक साथ देखा गया था; अ.सा. 1 और 2 के साक्ष्य के अलावा ।"

2 (2002) 8 एससीसी 45

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. **<u>त्रिमुख मारोती किरकन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य</u>**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब मृत्यु उसकी (अपीलार्थी की) अभिरक्षा में हुई थी, तो अपीलार्थी का दायित्व है कि वह धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने कथन में उसकी मृत्यु के कारण के लिए एक उचित स्पष्टीकरण दे। यह निम्नानुसार अवलोकित किया गया : –

> "22. जहां किसी अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है और अभियोजन पक्ष यह साक्ष्य प्रकट करने में सफल हो जाता है कि अपराध करने से कुछ समय पहले उन्हें एक साथ देखा गया था या अपराध उस आवास गृह में हुआ था जहां पति भी सामान्य रूप से रहता था, यह लगातार अभिनिर्धारित किया जाता रहा है कि यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि पत्नी को चोटें कैसे आईं या कोई स्पष्टीकरण देता है जो झूठा पाया जाता है, तो यह एक प्रबल परिस्थिति है जो इंगित करती है कि वह अपराध करने के लिए उत्तरदायी है। नीका राम विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य[4] में यह अवलोकन किया गया है कि तथ्य यह कि अभियुक्त घर में अपनी पत्नी के साथ अकेला था जब उसकी हत्या "खुखरी" से की गई और यह तथ्य कि अभियुक्त के उसके साथ संबंध तनावपूर्ण थे, उसके द्वारा किसी भी ठोस स्पष्टीकरण के अभाव में, उसके दोष की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---
3 (2006) 10 एससीसी 681
4 (1972) 2 एससीसी 80

ओर इंगित करते हैं। गणेशलाल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य[5] में अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के लिए अभियोजित किया गया था जो उसके घर के अंदर कारित हुई थी। यह अवलोकन किया गया कि जब मृत्यु उसकी अभिरक्षा में हुई थी, तो अपीलार्थी, दं. प्र. सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में, उसकी मृत्यु के कारण के लिए एक उचित स्पष्टीकरण देने हेतु दायित्वधीन है। अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार करने के साथ–साथ किसी भी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति को अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत अभिनिर्धारित किया गया, किन्तु उक्त को इस परिकल्पना के अनुरूप अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त है...।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. इसी प्रकार, **<u>राजस्थान राज्य विरुद्ध ठाकुर सिंह</u>**[6] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **<u>शंभू नाथ मेहरा विरुद्ध अजमेर राज्य</u>**[7] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लेते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारण किया है:–

"16. पूर्व में शंभू नाथ मेहरा विरुद्ध अजमेर राज्य के मामले में इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के निर्वचन का वर्णन किया था और अभिनिर्धारित किया था कि इस धारा का उद्देश्य साक्ष्य को सिद्ध करने के भार (अपराध के संबंध में) को अभियुक्त

---
5 (1992) 3 एससीसी 106
6 (2014) 12 एससीसी 211
7 ए.आई.आर. 1956 एससी 404

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर स्थांतरित करना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति का ध्यान रखना है, जहां कोई तथ्य केवल अभियुक्त को ही ज्ञात हो और अभियोजन पक्ष के लिए उस तथ्य को सिद्ध करना लगभग असंभव या अत्यंत कठिन हो। यह कहा गया: (ए.आई.आर. पृष्ठ 406, पैरा 11)

> “11. यह [धारा 101] सामान्य नियम अधिकथित करती है कि दाण्डिक प्रकरण में साक्ष्य को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, इसे कुछ आपवादिक मामलों में लागू करने के लिए परिकल्पित किया गया है, जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव हो, या किसी भी दर पर अननुपातिक रूप से कठिन हो, जो अभियुक्त के ज्ञान में 'विशेष रूप से' हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के सिद्ध कर सकता है।
>
> 'विशेष रूप से' शब्द इस बात पर पर बल देता है कि इसका तात्पर्य ऐसे तथ्य से है जो उसके ज्ञान में प्रमुख रूप से या आपवादिक रूप से हैं। यदि धारा का निर्वचन अन्यथा किया जाए, तो इससे बहुत ही चौंका देने वाला निष्कर्ष उद्भूत होगा कि हत्या के मामले में यह सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है

कि उसने हत्या नहीं की है क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसने हत्या की है या नहीं।"

32. **विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की विरुद्ध पंजाब राज्य**[8] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने से मुक्त नहीं करती है। केवल तभी जब अभियोजन पक्ष का मामला सिद्ध हो जाए, तो ऐसे तथ्य, जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान में थे, को स्पष्ट करने हेतु भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो सकता है। यह निम्नानुसार अवलोकित किया गया है :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने से मुक्त नहीं करती है। केवल तभी जब अभियोजन पक्ष का मामला सिद्ध हो जाए, तो ऐसे तथ्य, जो अभियुक्त के विशेष ज्ञान में थे, को स्पष्ट करने हेतु भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो सकता है। निस्संदेह, उक्त नियम के कतिपय आपवाद हैं, उदाहरण के लिए, जहां एक विधान के अधीन सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर अधिरोपित किया जा सकता है।"

33. नरेन्द्र दास मानिकपुरी (अ.सा. 6) के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपीगण रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ– 1), मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद (अ– 2), लखन निषाद (अ– 3) एवं दीपक कुमार ध्रुव (अ– 4) ने उसकी मां चेतन बाई के साथ शराब का सेवन किया, उसकी बहनें भी वहां थी, वे भी सो गई थी और जब

8 (2006) 12 एससीसी 306

वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी बहनें फर्श की सफाई कर रहीं थी, तब उसने अपनी बहनों से पूछा कि वे सफाई क्यों कर रहीं है और मां कहां गई है, तब उसकी बहनों ने बताया कि मां चेतन बाई गांव गई है।

34. **(2012) 6 एससीसी 107** में प्रकाशित **संदीप विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को साक्ष्य की ऐसी प्रकृति पर विचार करने का अवसर था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि यह बिल्कुल सामान्य है कि अभियुक्त के कथन के ग्राह्य भाग के आधार पर जब भी और जहाँ भी बरामदगी की जाती है, तो वे साक्ष्य में ग्राह्य होती हैं और और ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त को बरामदगी की प्रकृति, उनके कब्जे में लेने या उन्हें उन स्थानों, जहां से उन्हें बरामद किया गया, पर रखे जाने के संबंध में न्यायालय की तुष्टि में स्पष्टीकरण देना होगा ।। कथन का वह भाग जो किसी भी तरह से अभियुक्त को आलिप्त नहीं करता है किन्तु मात्र तथ्यों का कथन है, वह मात्र उस स्वीकृति के बराबर होगा जिसका अवलंब अन्य तथ्यों, जो घटना से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, को अभिनिश्चित करने के लिए लिया जा सकता है, जबकि उसी समय, उक्त के फलस्वरूप अभियुक्त किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से अपराध में आलिप्त नहीं होगा ।

35. **(2016) 14 एससीसी 640** में प्रकाशित **महबूब अली एवं अन्य विरुद्ध राजस्थान राज्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि धारा 27 के अधीन तथ्यों का प्रकटीकरण, अन्य आरोपीगण के संबंध में जानकारी, षडयंत्र के आरोप को स्थापित करने के लिए, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में ग्राह्य होगा ।सर्वोच्च

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय ने उक्त मामले के पैरा 16, 17 और 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारण किया है:–

> "16. (2005) 11 एससीसी 600 में प्रकाशित राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) विरुद्ध नवजोत संधू में इस न्यायालय ने धारा 27 में निर्दिष्ट तथ्य के प्रकटीकरण के प्रश्न पर विचार किया है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों पर विचार किया है तथा पुलुकुरी कोट्टय्या विरुद्ध किंग एम्परर ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 67 में पारित निर्णय की व्याख्या की है तथा इस प्रकार अभिनिर्धारण किया है: (नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600, एससीसी पृष्ठ 704, पैरा 125–27)
>
> > "125. हमारे मत में कोट्टाया का मामला [ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 67] इस प्रतिपादना के लिए एक न्यायिक दृष्टान्त है कि "तथ्य के प्रकटीकरण " को प्रस्तुत अथवा पाई गई वस्तु के बराबर नहीं माना जा सकता है। यह उससे कहीं अधिक है। तथ्य का प्रकटीकरण इस तथ्य के आधार पर उद्भूत होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी किसी विशिष्ट स्थान पर उसके विद्यमान होने के संबंध में सूचनाकर्ता के ज्ञान या मानसिक जागरूकता को प्रदर्शान्कित करती है।

126. अब हम इस न्यायालय के उन पूर्व निर्णयों की ओर अपना ध्यान मोड़ते हैं, जो कोट्टाया मामले में पारित निर्णय का अनुसरण करते हैं। पूर्वोक्त उद्धृत रेखांकित अंश में परिलक्षित कोट्टाया मामले के निर्णयाधार को इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है।

127. कोट्टाया मामले के निर्णयाधार का सार इस न्यायालय द्वारा (2000) 6 एससीसी 269 में प्रकाशित महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध दामू के मामले में स्पष्ट किया गया है । थॉमस जे. ने अवलोकन किया है कि: (एससीसी पृष्ठ 283, पैरा 35)

'35 ...पुलुकुरी कोट्टाया विरुद्ध किंग एम्परर ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 67 में पारित प्रिवी काउंसिल का निर्णय इस निर्वचन का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उद्धृत किया गया न्यायिक दृष्टान्त है कि धारा में परिकल्पित 'प्रकट तथ्य' में वह स्थान, जहां से वस्तु प्रस्तुत किया गया था, और अभियुक्त का उसके बारे में ज्ञान शामिल हैं , लेकिन दी गई जानकारी का उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंधित होना आवश्यक है ।'

(1976) 1 एस.सी.सी. 828 में प्रकाशित मोहम्मद इनायतुल्लाह विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य के मामले में न्यायमूर्ति श्री सरकारिया द्वारा, यह स्पष्ट करते हुए कि धारा 27 में अभिव्यक्ति “प्रकट तथ्य” किसी भौतिक या तात्विक तथ्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तक सीमित नहीं है जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता हो, और जिसमें मानसिक तथ्य भी शामिल है, ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 67 में प्रकाशित पुलुकुरी कोट्टाया मामले में प्रतिपादित बातों का सार देते हुए अर्थ को स्पष्ट किया है । विद्वान न्यायाधीश ने पीठ की ओर से बोलते हुए इस प्रकार अवलोकन किया है : (एस.सी.सी. पृष्ठ 832, पैरा 13)

> '13...अब यह उचित रूप से स्थापित है कि अभिव्यक्ति 'प्रकट तथ्य' में न केवल प्रस्तुत भौतिक वस्तु शामिल है, बल्कि वह स्थान भी शामिल है जहां से इसे प्रस्तुत किया गया है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान भी शामिल है (देखें पुलुकुरी कोट्टाया विरुद्ध किंग एम्परर, ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 67; उदय भान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य [1962 सप्ली (2) एस.सी.आर। 830])।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध दामू, ए.आई.आर. 2000 एससी 1691, में अभियुक्त द्वारा दिया गया कथन कि बच्चे के शव को एक विशेष स्थान पर ले जाया गया और घटनास्थल से बरामद कांच का टूटा हुआ टुकड़ा सह–अभियुक्त की मोटरसाइकिल की पिछली बत्ती के हिस्से के रूप में पाया गया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर उक्त उद्देश्य के लिए किया गया था। उक्त कथन, जिससे इस तथ्य का प्रकटीकरण होता है कि अभियुक्त शव को एक विशेष मोटरसाइकिल द्वारा उक्त स्थान तक ले गया था, साक्ष्य में ग्राह्य

होगा। इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार प्रतिपादित किया है: (एससीसी पृष्ठ 282–83, पैरा 35–38)

"35. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार पश्चात्वर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस सार पर आधारित है कि यदि एक बंदी से प्राप्त किसी सूचना के आधार पर की गई तलाशी में कोई तथ्य का प्रकटीकरण होता है, तो ऐसा प्रकटीकरण इस बात का प्रत्याभूति है कि बंदी द्वारा दी गई सूचना सत्य है। सूचना प्रकृति में स्वीकारोक्तिपूर्ण या गैर–अभियोगात्मक हो सकती है, किन्तु यदि इसके फलस्वरूप किसी तथ्य का प्रकटीकरण होता है तो यह विश्वसनीय सूचना बन जाती है। अतः विधानमंडल द्वारा ऐसी सूचना को, ग्राह्य भाग को न्यूनतम तक सीमित कर, साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई । यह सुस्थापित है कि किसी वस्तु की बरामदगी धारा में परिकल्पित तथ्य का प्रकटीकरण नहीं है। पुलुकुरी कोट्टाया विरुद्ध एम्परर, ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 67, में प्रिवी काउंसिल का निर्णय इस निर्वचन का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उद्धृत किया गया न्यायिक दृष्टान्त है कि कि धारा में परिकल्पित 'प्रकट तथ्य' में वह स्थान, जहां से वस्तु प्रस्तुत किया गया था, और अभियुक्त का उसके बारे में ज्ञान शामिल हैं , लेकिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दी गई जानकारी का उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंधित होना आवश्यक है ।

36. इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्ष्य में ग्राह्य की जाने वाली सूचना उसके उक्त हिस्से तक सीमित है जो " प्रकट तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है"। किन्तु ग्राह्यता प्राप्त करने के लिए सूचना को इतना संक्षिप्त नहीं किया जाना चाहिए कि वह असंवेदनशील या समझ से परे हो जाए। ग्राह्य की गई सूचना की सीमा समझने योग्य होनी चाहिए। इस मामले में, अ.सा. 44 द्वारा प्रकट किया गया तथ्य यह है कि अ– 3 मुकिंदा थोरात ने दीपक के शव को मोटरसाइकिल पर घटनास्थल तक पहुंचाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. विशिष्ट सूचना से तथ्य का प्रकटीकरण कैसे हुआ ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दीपक के शव की उसी नहर से बरामदगी अ.सा. 44 को प्राप्त सूचना से पूर्व की घटना थी। यदि आरोपी से सूचना प्राप्त करने के अनुसरण में और तत्पश्चात कुछ और बरामद नहीं हुआ होता तो किसी भी तथ्य का प्रकटीकरण कभी नहीं होता । किन्तु जब उस स्थान से कांच का टूटा हुआ टुकड़ा बरामद किया गया और उस टुकड़े को अ –2 गुरुजी की मोटरसाइकिल की पिछली बत्ती के हिस्से के रूप में पाया गया, तो यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अन्वेषण अधिकारी ने इस तथ्य का

प्रकटीकरण किया कि अ–2 गुरुजी उस विशिष्ट मोटरसाइकिल पर शव को लेकर घटनास्थल तक गया था ।

38. उक्त तथ्य के प्रकटीकरण की दृष्टि में, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्रवृत हैं कि अ– 2 गुरुजी द्वारा दी गई सूचना, कि दीपक का शव मोटरसाइकिल पर विशिष्ट स्थान तक ले जाया गया था, साक्ष्य में ग्राह्य है। अतएव, यह सूचना अभियोजन पक्ष के मामले को उपर्युक्त सीमा तक सिद्ध करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस्माइल विरुद्ध एम्परर, ए.आई.आर. 1946 सिंध 43, के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा एक अन्य सह–अभियुक्त पाया गया, सह–अभियुक्त के पता–ठिकाने के बारे में अभियुक्त द्वारा पुलिस को दिया गया कथन अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में धारा 27 के अधीन ग्राह्य अभिनिर्धारित किया गया ।

36. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा–19 में यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृतिका के शरीर पर पाए गए कपड़े अधजली जाँघिया, अधजला कंबल थे, और साथ ही, अधजली चटाई और शव के पड़े होने के स्थान से खून से सनी मिट्टी पाए गए थे । आरोपी–अपीलार्थीगण के मेमोरेंडम के आधार पर उनकी निशानदेही पर जब्त हथियार अर्थात कुल्हाड़ी, चाकू और जले हुए कपड़ों की राख का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर द्वारा किया

गया । विधि विज्ञानं प्रयोगशाला की रिपोर्ट से दर्शित होता है कि मृतिका का शव जहां पड़ा था, वहां खून से सनी मिट्टी प्रदर्श–ए पाई गई , शव पर आधा जला कंबल प्रदर्श – सी (2) पाया गया, शव के पास आधा जला चटाई का टुकड़ा प्रदर्श– सी (3) पाया गया, मृतिका की हत्या वाले स्थान पर खून से सनी मिट्टी प्रदर्श– डी और ई पाए गए , आरोपी रविन्द्र दास मानिकपुरी के मेमोरेंडम पर कुल्हाड़ी प्रदर्श–एफ बरामद किया गया, आरोपी मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद के मेमोरेंडम पर चाकू प्रदर्श–जी बरामद किया गया और शव पर दुपट्टा प्रदर्श–जे पाया गया, जिस पर मानव रक्त पाया गया था । शव जिस स्थान पर पड़ा था, वहां से प्राप्त मिट्टी (प्रदर्श ए) और शव पर आधा जला हुआ कंबल (प्रदर्श सी–3) व आरोपी मोनू उर्फ भुवनेश्वर से बरामद चाकू (प्रदर्श जी) में बी समूह का रक्त पाया गया तथा शेष संपत्ति में रक्त नहीं पाया गया। रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आरोपी रविन्द्र दास मानिकपुरी से बरामद कुल्हाड़ी (प्रदर्श–एफ) और आरोपी मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद से बरामद चाकू (प्रदर्श–जी) में मानव रक्त पाया गया था। आरोपीगण रविन्द्र दास मानिकपुरी और मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद द्वारा यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उक्त दोनों वस्तुओं पर मानव रक्त कैसे आया। इस प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि आरोपी रविन्द्र दास मानिकपुरी, मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद मृतिका चेतन बाई की हत्या में शामिल थे और आरोपी–अपीलार्थीगण लखन निषाद और दीपक कुमार ध्रुव ने मृतक की हत्या में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

37. नरेन्द्र दास मानिकपुरी (अ.सा. 6) के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपीगण रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ– 1), मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद (अ– 2), लखन निषाद (अ– 3) एवं दीपक कुमार ध्रुव (अ– 4) ने उसकी मां चेतन बाई के साथ शराब का सेवन किया था , उसकी बहनें भी वहां थी, वे भी सो सो गए थे और जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी बहनें फर्श की सफाई कर रहीं थी, तब उसने अपनी बहनों से पूछा कि वे सफाई क्यों कर रहीं है और मां कहां गई है, तब उसकी बहनों ने बताया कि मां चेतन बाई गांव गई है। नरेन्द्र दास मानिकपुरी (अ.सा. 6) ने कुमारी पार्वती मानिकपुरी एवं कुमारी दास मानिकपुरी के विरुद्ध अपने साक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वे भी इस साक्षी की मां की हत्या के षडयंत्र में शामिल रहे हैं। अपने प्रति–परीक्षण के पैरा–5 में उसने कथन किया है कि यह सही है कि रात का खाना खाने के बाद वह अपने छोटे भाई शैलेन्द्र के साथ सो गया था और उसकी बहन रिंकी पिंकी भी सो गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. इस प्रकार, दाण्डिक अपील क्र. 1590/2015 में अपीलार्थी दीपक कुमार ध्रुव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए निर्णय अर्थात दिगम्बर वैष्णव (पूर्वोक्त), मनोज कुमार सोनी (पूर्वोक्त), इंद्र दलाल (पूर्वोक्त), बिपिन कुमार मंडल (पूर्वोक्त) और बाबू (पूर्वोक्त) वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग हैं।

39. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, ऊपर उल्लेखित निर्णयों (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि, नरेन्द्र दास मानिकपुरी (अ.सा.6) के साक्ष्य, शव परीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी.11), डॉ. स्निग्धा जैन (अ.सा.13) के साक्ष्य,

अभियुक्त रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ– 1) की निशानदेही पर सिर की बरामदगी (प्र.पी. 22), अभियुक्त/अपीलार्थीगण के मेमोरेंडम कथनों तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा–19 में अभिलिखित निष्कर्ष का विचारण करते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण – रविन्द्र दास मानिकपुरी (अ– 1), मोनू उर्फ भुवनेश्वर निषाद (अ– 2), लखन निषाद (अ– 3), दीपक कुमार ध्रुव (अ– 4) को भा.दं. सं की धारा 302/34 तथा 201/34 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष करने तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित करने में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं की है । इस प्रकार, उनकी अपील खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

40. नरेन्द्र दास मानिकपुरी (अ.सा. 6) के साक्ष्य, विशेषकर उसके प्रति–परीक्षण के पैरा–5 पर विचारण करते हुए और इस तथ्य पर भी विचारण करते हुए, कि कुमारी पार्वती मानिकपुरी (अ– 5) और कुमारी दास मानिकपुरी (अ– 6) के मेमोरेंडम कथनों के अतिरिक्त उनके कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु जब्त नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष विचाराधीन अपराध में उनकी संलिप्तता को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है, हमारा यह विचारणीय मत है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण कुमारी पार्वती मानिकपुरी (अ– 5) तथा कुमारी दास मानिकपुरी (अ– 6) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 201/34 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है, क्योंकि उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

41. उपरोक्त कारणों से, अपीलार्थी दीपक कुमार ध्रुव की ओर से दाखिल दाण्डिक अपील क्र. 1590/2015, अपीलार्थी रविन्द्र दास की ओर से दाखिल दाण्डिक अपील क्र. 121/2016 तथा अपीलार्थीगण मोनू उर्फ़ भुनेश्वर निषाद एवं लखन निषाद की ओर से दाखिल दाण्डिक अपील क्र. 519/2022 खारिज किये जाते हैं । तथापि अपीलार्थीगण कुमारी पार्वती मानिकपुरी एवं कुमारी दास मानिकपुरी की ओर से दाखिल दाण्डिक अपील क्र.1394/2015 को स्वीकार किया जाता है और उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 201/34 के अधीन पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। वे जमानत पर हैं। उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानत बंधपत्र रद्द किये जाते हैं और प्रतिभूतियों को उन्मोचित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. दं. प्र. सं की धारा 437–क के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त–अपीलार्थी, अर्थात्, कुमारी पार्वती मानिकपुरी और कुमारी दास मानिकपुरी को निर्देश दिया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक 25,000/– रुपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र अविलंब संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होगा और साथ ही यह शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करें कि, वर्त्तमान निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान किए जाने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उपरोक्त अपीलार्थीगण इसकी नोटिस प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

43. दांडिक अपील क्र. 1590/2015 में अपीलार्थी दीपक कुमार ध्रुव जमानत पर है। उसका जमानत बंधपत्र रद्द किया जाता है और प्रतिभूतियों को उन्मोचित किया जाता है। उसे विचारण न्यायलय द्वारा अधिनिर्णीत शेष दंड भुगतने के लिए संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा, ऐसा न करने पर, उसे विचारण न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में लिया जाएगा। अपीलार्थीगण रवींद्र दास, मोनू उर्फ भुनेश्वर निषाद और लखन निषाद जेल में निरुद्ध हैं। उन्हें विचारण न्यायालय के आदेशानुसार अपने दंड भुगतने होंगे।

44. अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब वापस प्रेषित किये जाएँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

सही /–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

निर्णय की तारीख : 01 नवंबर, 2023

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Shri Shubham Verma, Advocate